

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2006

फा. सं. 1-18/2006-बी एण्ड सीएस.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के परंतुक तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा फाइल सं 13-1/2004-रिस्टज से जारी अधिसूचना सं. 39 (एस.ओ. नं. सं.44 (अ) और 45 (अ) दिनांक 9.1.2004) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997(1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii), (iii) और (iv) और उपखण्ड (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग और केबल) सेवाएं (तीसरा)(कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेभा, 2006 (2006 का 6)(जिसे यहां इसके बाद “प्रधान आदेभा” कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:

- (i). यह आदेभा “दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (तीसरा)(कैस क्षेत्र) टैरिफ (पहला संशोधन) आदेभा, 2006 (2006 का 7)” कहा जाएगा।
- (ii). यह आदेभा पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगा।
- (iii). यह आदेभा राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. प्रधान आदेभा में, खण्ड 5 के वर्तमान उपखण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित परंतुक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

“परन्तु इस उपखण्ड के उपबंध निम्नलिखित प्रकार के वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स पर लागू नहीं होंगे

- (i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल;

- (ii) हैरिटेज होटल (जैसा कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिभा-निर्देभाओं में वर्णित किया गया है);
- (iii) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थापन, जिसमें रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों।”

3. प्रधान आदेभा में खण्ड 6 को वर्तमान उपखण्ड (vi) तथा इससे संबंधित प्रविश्टियां हटा दी जाएंगी तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां जोड़ी जाएंगी:

“(vi) (क) उपखण्ड (i) से (v) नीचे (ख) में सूचीबद्ध वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के अलावा सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू होगा।

(ख) वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ऐसे सब्सक्राइबरों द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले अधिकतम फुटकर मूल्य के मामले में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी और न कोई न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि निर्धारित की जाएगी:

- (i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल,
- (ii) हैरिटेज होटल (जैसा कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिभा-निर्देभाओं में वर्णित किया गया है);
- (iii) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थापन, जिसमें रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों।

परंतु यह कि ब्राडकास्टर्स/मल्टी सिस्टम आपरेटरों/केबल ऑपरेटरों द्वारा पेभा किए जाने वाले चैनल समूह के अलावा इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए चैनल अ-ला-कार्टे आधार पर भी मुहैया कराए जाएंगे।

परंतु यह भी कि जब कभी चैनल समूह की पेभाकभा की जाएगी, यह निम्नलिखित भातों के अध्यक्षीन की जाएगी:

I किसी एक चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत, उस चैनल समूह, जिनका वह हिस्सा हो, के औसत चैनल कीमत के तीन गुने से ज्यादा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण: यदि किसी चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत  $x$  रू० प्रतिमाह हो और चैनलों की संख्या  $y$  हो, तो चैनल समूह की औसत कीमत  $x$  रू० को  $y$  से विभाजित कर निकाली जाएगी।

II अलग अलग चैनलों की अधिकतम कीमत का जोड़ चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत के 150 % से ज्यादा नहीं होगा।

“स्पष्टीकरण-1: ऊपर खण्ड (vi) के प्रयोजन के लिए प्रश्न कि क्या वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, केबल ऑपरेटर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर को भुगतान करेंगे, का निर्धारण संबंधित पार्टियों के बीच हुए करार की भांति द्वारा किया जाएगा, अर्थात:

(i). ब्राडकास्टर

(ii). एमएसओ और केबल ऑपरेटर जिन्हें वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को सिगनल उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

एक ओर, तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर दूसरी ओर।

स्पष्टीकरण 2: यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ब्राडकास्टर के कार्यक्रम के संबंध में जिसे मनोरंजन कर विधि के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्थान पर सामान्य अवलोकन के लिए किसी विभोष समारोह के अवसर पर दर्शाया गया हो तथा जिसके लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों के लिए भुगतान आधार पर प्रवेश की अनुमति दी गई हो, के संबंध में टैरिफ वह होगा, जो पार्टियों के बीच आपस में अवधारित किया जाए।”

4. व्याख्यात्मक ज्ञापन:

इस आदेश के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

आदेशानुसार,

आर. एन. चौबे, सलाहकार (बी एण्ड सीएस- II)

[विज्ञापन III/IV/142/2006- असा]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

**1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि**

1.1 प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2004 को टैरिफ आदेभा जारी किए थे, जिनमें यह उपबंध था कि केबल के प्रभार एफटीए और पे-चैनलों, दोनों ही के लिए 26 दिसम्बर 2003 को विद्यमान स्तरों पर होंगे। यह अंतरिम आदेभा अंतिम निर्धारण के अध्यक्षीन था। तत्पश्चात् व्यापक परामर्शों के बाद 1.10.2004 को एक विस्तृत टैरिफ आदेभा जारी किया गया (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेभा कहा गया है) जिसने 26.12.2003 को विद्यमान केबल प्रभारों की सीमा की मर्यादा को बनाए रखा तथा नए पे-चैनलों की भुर्रुआत तथा कतिपय भार्तों के अध्यक्षीन विद्यमान एफटीए चैनलों को पे-चैनल में परिवर्तित करने के लिए मार्ग प्रभास्त किया। इन दोनों आदेभों में प्रधान उद्देश्य उन केबल सब्सक्राइबरों को राहत प्रदान करना था जिनके पास केबल टेलीविजन प्रभारों में वृद्धि के विरुद्ध स्वयं को बचाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

1.2 होटलों और रेस्तराओं की कतिपय एसोसिएशनों ने एक होटल के साथ मिलकर कुछ प्रसारकों और उनके प्रधिकृत वितरकों के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण (टीडीएसएटी) में याचिकाएं दायर कीं। विवाद मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित था कि क्या केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए होटलों तथा रेस्तराओं को घरेलू उपभोक्ताओं के समान माना जा सकता है। इसके अलावा, अन्य संबंधित एवं आनुषंगिक मुद्दे भी निर्णयाधीन थे। माननीय टीडीएसएटी ने अपने 17 जनवरी 2006 के आदेभा द्वारा याचिका का निपटान कर दिया। एक नियंत्रण आदेभा के रूप में हस्तक्षेप के लिए होटलों की एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

1.3 एक अंतरिम आदेभा के रूप में 7 मार्च 2006 को प्रधान टैरिफ आदेभा पर एक संभोधन जारी किया गया। इस टैरिफ संभोधन आदेभा में साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया और इसने 1 मार्च 2006 को विद्यमान स्तर पर केबल प्रभारों पर एक सीमा का भी उपबंध किया जिसका भुगतान वाणिज्यिक केबल अंभादाता के संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया जाना था। इसके पश्चात 24 मार्च, 2006 को एक अन्य संभोधन के माध्यम से एक अन्य संभोधन जोड़ा गया जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं द्वारा जिस एजेंसी को भुगतान किया जाना है, वह पारस्परिक करार के अनुसार तय होगी। एक प्रसारक अर्थात् मैसर्स सेट डिस्कवरी प्रा. लि. द्वारा 7 मार्च, 2006 के

टैरिफ संभोधन आदेभा के विरुद्ध अपील दायर की गई जिसमें अंतरिम टैरिफ आदेभा जारी करने के लिए ट्राई की भाक्तियों पर प्रश्न किया गया था। यह अपील माननीय टीडीएसएटी द्वारा इसके 20.4.2006 के आदेभा द्वारा खारिज कर दी गई।

## **2. परामर्भा प्रक्रिया**

2.1 प्रसारकों और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मामलों पर परामर्भा की प्रक्रिया 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभोधन आदेभा के जारी होने के तत्काल बाद भुरु हो गई जिसमें 16 मार्च 2006 को प्रसारकों और होटल एसोसिएशनों के साथ संयुक्त बैठक तथा इसके पश्चात 23 मार्च 2006 और 5 अप्रैल 2006 को बैठकें आयोजित की गईं। 21 अप्रैल 2006 को एक परामर्भा पत्र भी पारित किया गया जिसमें परामर्भा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई थी ताकि 12 मई 2006 तक पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गई थीं –

- (i) वाणिज्यिक केबल अंभादाता अभिव्यक्ति की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे
- (ii) वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने अथवा अन्यथा की आवश्यकता
- (iii) वाणिज्यिक टैरिफ निधारित करने की पद्धति और रीति

परामर्भा पत्र में उठाए गए प्रश्नों में से एक मूल प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से केबल सब्सक्राइबर्स के श्रेणीकरण से संबंधित था कि क्या 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभोधन आदेभा में निहित परिभाषा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। पत्र में ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, के श्रेणीकरण की समस्याओं और परेभानियों का वर्णन करते हुए इसमें परिभाषा के संबंध में दृष्टिकोण अपनाने पर इनपुटों की मांग की गई थी। परामर्भा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि श्रेणीकरण तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए एक पृथक परिभाषा बनाने का प्रश्न टैरिफ विनियम के लिए दृष्टिकोण के प्रश्न से निकट रूप से जुड़ा हुआ है अर्थात् क्या टैरिफ विनियम रखना अथवा केबल सब्सक्राइबर्स की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ विनियम के विभिन्न सेट रखना आवश्यक है। श्रेणीकरण का प्रश्न टैरिफ विनियमों के विभिन्न सेट बनाने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय पर निर्भर करता है और इसके बाद आता है। 7 मार्च, 2006 का टैरिफ संभोधन आदेभा, जिसे उक्त आदेभा के साथ संलग्न व्याख्यात्मक

ज्ञापन में दर्शाया गया है, एक अंतरिम उपाय था तथा विस्तृत जांच के अध्यक्षीन थी जिस प्रयोजनार्थ परामर्श पत्र जारी किया गया था।

2.2 विस्तृत परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। इसके बाद 25 मई, 2006 को दिल्ली में खुले मंच पर विचार-विमर्श हुआ। परामर्श पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों का सार ट्राई की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर दिया गया है। होटलों तथा रेस्तरांओं के अलावा वैयक्तिक संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें स्पष्टीकरण मांगे गए थे, हालांकि वे परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में नहीं थे। विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों के संबंध में प्राधिकरण के दृष्टिकोण तथा निर्णयों पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में उपयुक्त स्थान पर चर्चा की गई है।

2.3 इस दौरान कतिपय होटल एसोसिएशनों तथा एक होटल द्वारा माननीय टीडीएसएटी के 17 जनवरी, 2006 के आदेशों के विरुद्ध भीषण न्यायालय में एक सिविल अपील (2006 की 2061 और 2006 की 2247) दायर की गई। अपील में अंतरिम राहत के रूप में 7 मार्च 2006 के टैरिफ संशोधन आदेशों के प्रचालन के विरुद्ध स्थगन की प्रार्थना भी की गई थी। तथापि, ट्राई को इस अपील में पक्ष नहीं बनाया गया था। भीषण न्यायालय ने अपने 28 अप्रैल 2006 के अंतरिम आदेशों में निदेश दिया कि इसके अंतरिम आदेशों की तारीख की स्थिति के अनुसार यथापूर्व स्थिति बनाई जाए। यथापूर्व स्थिति के आदेशों को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रसारकों तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ जारी करने के संबंध में माननीय भीषण न्यायालय के अंतिम आदेशों के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए जिसके लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया और एक ओएचडी आयोजित की गई।

2.4 इस दौरान, सभार्त संपर्क प्रणाली (कैस) के एक माह के भीतर क्रियान्वयन के लिए माननीय एकल न्यायाधीशों के 10 मार्च 2006 के निर्णय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई एक अपील (2006 का एलपीए 985) पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में 31 दिसम्बर 2006 से कैस लागू किया जाए तथा सभी सह-प्रतिवादियों (इस अपील में) को निदेश दिया गया कि वे अपीलकर्ता के साथ

सहयोग करें। दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता के तीन महानगरों में 31 दिसम्बर 2006 तक कैस को लागू करने के दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 20 जुलाई 2006 के निदेभा के अनुपालन में ट्राई ने एकल न्यायाधीभा खण्डपीठ के 10.3.06 के आदेभा के पश्चात तत्काल प्रारंभ की गई परामर्भा की प्रक्रिया को पे-चैनलों, फ्री टू एयर चैनलों के लिए बुनियादी सेवा टीयर प्रभारों, सेटटॉप बॉक्सों की आपूर्ति के लिए स्कीमों, अंतर्संबंधीय करारों और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मामलों तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सेवा की गुणवत्ता के बारे में विनियम/टैरिफ जारी करने के लिए आगे प्रारंभ कर दिया। 31 दिसम्बर, 2006 तक क्रियान्वयन की समग्र कार्यनीति में क्रियाकलाप-वार समय सीमा के संदर्भ में इन पहलों को 31 अगस्त, 2006 तक पूरा किया जाना था। चूंकि कैस क्षेत्रों के संबंध में टैरिफ आदि पर निर्णय से वाणिज्यिक सब्सक्राइबर भी प्रभावित होंगे, अतः यथापूर्व स्थिति के संदर्भ में कैस क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक टैरिफ के बारे में एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। कैस अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने के कार्यवाही करने के लिए प्रबंध करने हेतु सुनवाई के दौरान एक अनुरोध किया गया। तदनुसार, भीष न्यायालय ने अपील में तर्क पेभा करने के लिए आवेदन की अनुमति दे दी। निदेभाओं के लिए तथ्यों एवं परिस्थितियों को भीषस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया। चूंकि कैस क्षेत्रों के संबंध में 31 अगस्त, 2006 के टैरिफ आदेभाओं को जारी करने के समय भीष न्यायालय के यथापूर्व स्थिति आदेभा प्रवर्तन में थे, ट्राई ने 28 अप्रैल, 2006 को माननीय भीष न्यायालय द्वारा पारित वाणिज्यिक टैरिफ के संबंध में यथापूर्व स्थिति आदेभा को ध्यान में रखते हुए उक्त टैरिफ आदेभा में उपबंध किया की पे-चैनलों के लिए टैरिफ के निर्धारण से संबंधित उपखण्ड (I) से (V) के उपबंध वाणिज्यिक अंभादाताओं पर लागू नहीं होंगे तथा उनका विनियमन 2006 की सिविल अपील संख्या 2061 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2006 के आदेभा द्वारा किया जाएगा।

2.5 भीषस्थ न्यायालय ने 19 अक्टूबर 2006 को इसके समक्ष अपील में दलीलों की समाप्ति पर अधिनिर्णय को बदल दिया और निदेभा दिया कि –

“यह प्रतीत होता है कि 28.4.2006 के आदेभा द्वारा इस न्यायालय की एक खण्डपीठ ने यथापूर्व स्थिति, जैसा कि यह स्थिति आज की तारीख तक बनी हुई है, बनाए रखने का आदेभा दिया है। अधिवक्ता परिषद में यह सूचित किया गया है कि उक्त आदेभा के अनुसरण में तथा इससे अनुपालन में ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के निबंधनों के अनुसार टैरिफ तैयार करने की प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर रही है।

ट्राई की ओर से पेभा हुए प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री संजय कपूर ने हमारे सम्मुख परामर्भा पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं तथा टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाओं के आज की तारीख से एक माह के भीतर पूरी हो जाने की आभा है।

हमने 28.4.2006 के हमारे उक्त आदेभा के संभोधन में ट्राई को टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाएं आरंभ करने का निदेभा दिया है। ऐसा करते समय, इसे अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत इसके अधिकार-क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए तथा टीडीएसएटी द्वारा इस संबंध में की गई किसी टिप्पणी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए अथवा इसके आधार पर ही कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा उल्लेख करना समीचीन होगा कि उक्त टैरिफ को तैयार करने के लिए समस्त पद्धतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि परामर्भा-पत्र में भी टीडीएसएटी द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में कुछ उल्लेख किए गए हैं। इससे पूर्व इसमें जारी हमारे निदेमों को ध्यान में रखते हुए एक नया परामर्भा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तविक टैरिफ तैयार करते समय अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए तथा उसके संबंध में निर्धारित सभी पद्धतियों का पालन किया जाए।

2.6 21 अप्रैल 2006 को जारी परामर्भा पत्र कैस क्षेत्रों अथवा गैर-कैस क्षेत्रों के विभोष संदर्भ में नहीं था। कैस क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर परामर्भा पत्र 14.6.2006 का जारी किया गया था, तथापि, चूंकि उच्चतम न्यायालय के आदेभा लागू थे, इसने वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं की समस्या को विनिर्दिष्ट रूप से संदर्भित नहीं किया। भीर्ष न्यायालय के उक्त निदेमों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अनुपालन की अपेक्षा की गई थी, 2 नवम्बर, 2006 को ट्राई की वेबसाइट पर वाणिज्यिक टैरिफ के संबंध में कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ संभोधन आदेभा का मसौदा प्रदर्भित किया गया था, जिसमें 10 नवम्बर, 2006 तक पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गई थी। पणधारियों (प्रसारक और होटलों) की दो पृथक बैठकें 9 नवम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी, जो भीर्ष न्यायालय के समक्ष पक्ष भी थे तथा उन्हें उनका दृष्टिकोण रखने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। मसौदा टैरिफ आदेभा पर प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर दर्भाया गया है। मसौदा टैरिफ आदेभा के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों का सार इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिभाषित 1 में संलग्न है। मसौदा टैरिफ आदेभा पर प्राप्त

टिप्पणियों पर ट्राई के दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रिया पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की गई है।

### 3. मुद्दावार विश्लेषण

#### 3.1 वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे

3.1.1 1.10.2004 का प्रधान टैरिफ आदेभा साधारण केबल सब्सक्राइबर्स तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के बीच किसी विभेद का उपबंध नहीं करता है। इसी प्रकार 15.1.2004 का प्रथम अंतरिम टैरिफ आदेभा भी ऐसा कुछ नहीं करता। वस्तुतः दोनो ही टैरिफ आदेभों में केबल सब्सक्राइबर्स भाब्द की परिभाषा निहित नहीं थी। तथापि, व्याख्यात्मक ज्ञापन, विभोष रूप से 15.1.2004 के प्रथम टैरिफ आदेभा के पैरा 4 और 1.10.2004 के प्रधान आदेभा के पैरा 3 का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि किसी गैर-पता क्षेत्र की तथा केबल प्रभारों में सूचित की गई बार बार वृद्धि की स्थितियों में लागत के आधार पर टैरिफ निधारित करने के जटिलताएं भामिल होती हैं, अतः टैरिफ प्रभारों पर नियंत्रण के रूप में सीमा निर्धारण करना उन केबल सब्सक्राइबर्स को राहत प्रदान करने का व्यवहार्य तरीका समझा गया, जिनके पास सीमान्त-प्रयोक्ता के रूप में संरक्षण का कोई तंत्र नहीं था। टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए ट्राई द्वारा जारी परामर्श में साधारण केबल उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आवश्यकता पर दिए गए बल को भी नोट किया जा सकता है। वाणिज्यिक संस्थापनाएं, जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके पास स्वयं को सुरक्षित करने के लिए एक तंत्र तथा साधन मौजूद है, टैरिफ विनियम पर विचार विमर्श के क्षेत्र में नहीं थी। अतः यह देखा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य प्रसारण तथा, केबल सेवाओं के ऐसे प्रयोक्ताओं को राहत और संरक्षण प्रदान करने के आवश्यकता थी, जिनके पास केबल प्रभारों में वृद्धि से स्वयं को संरक्षित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। अतः ऐसी संस्थापनाओं, जो प्रसारण एवं केबल सेवाओं को अपने स्वयं के घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त नहीं करती है बल्कि अपने उपभोक्ताओं, ग्राहकों, सदस्यों के लाभ के लिए लेती है, के लिए पृथक छूट अथवा अन्यथा का प्रश्न ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर 2004 के उक्त टैरिफ आदेभों के जारी किए जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विभोष ध्यान दिया जाना था।

3.1.2 तथापि, इसके पश्चात होटलों के संबंध में 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा के श्रेणीकरण तथा प्रयोज्यता की आवश्यकता का प्रश्न ट्राई के समक्ष तब उत्पन्न हुआ जब माननीय टीडीएसएटी के सम्मुख मामला आने से काफी समय पूर्व केबल प्रभारों में वृद्धि के विरुद्ध राहत प्राप्त करने के लिए होटल एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस मामले की जांच करते समय यह महसूस किया गया कि 1.10 .2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा में ऐसी स्थापनाओं, जो प्रसारण और केबल सेवाएं अपने स्वयं के प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं, के लिए प्रयोज्यता के वास्तविक आभाय अथवा अन्यथा के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है। तथापि, इससे पूर्व की निर्णय लिया जाता, यह मामला निर्णयाधीन हो गया। स्थापनाओं (होटलों के अलावा) से भी कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए थे जिनमें टैरिफ विनियमों की प्रयोज्यता के मामले पर तथा निर्वचन के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

3.1.3 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पणधारियों ने तर्क दिया कि वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं के पदबंध को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तथा विद्यमान परिभाषा को भी जारी रखने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने दर्शाया है कि किसी साधारण केबल अंभादाता के लिए उपलब्ध विद्यमान छूट इस आधार पर होटलों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए कि वे सिगनलों से संव्यवहार नहीं कर रहे हैं और उन्हें कोई विभोष लाभ प्राप्त नहीं होता है; कि वे भी साधारण केबल उपभोक्ता की भांति सीमान्त प्रयोक्ता है ; होटल उपभोक्ता है या नहीं, यह मामला निर्णयाधीन है तथा प्रसारक कनेक्शन काटने की धमकी पर टीवी चैनलों के लिए मनमाने ढंग से प्रभारों में वृद्धि करने जैसी पूर्ण एकाधिकार संबंधी प्रवृत्तियां अपनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार भी वाणिज्यिक सब्सक्राइबर की अवधारणा उपलब्ध नहीं कराता है। परामर्भ प्रक्रिया के दौरान अनेक अन्य दलीलें भी दी गई हैं, जो मुख्य रूप से इस बारे में हैं कि वे अन्य सेवाओं की भांति इन सेवाओं के लिए अपने अतिथियों से अलग से प्रभार नहीं ले रहे हैं तथा प्रभारों को उत्पादन के मूल्य और गुणवत्ता से संबंधित होना चाहिए (सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए सिगनल समान है तथा इसमें कोई अंतर नहीं है) जो कि सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए समान है और इस पर आधारित नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि प्रसारक द्वारा उपलब्ध सेवाएं जनोपयोगी सेवाएं, जैसे बिजली आदि नहीं हैं, जिनके लिए अलग से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इसमें श्रेणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता भाब्द को परिभाषित करने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अपनाए गए दृष्टिकोण का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है। उन्होंने अन्य मुद्दे भी उठाए हैं जैसे

विभिन्न समय पर अधिभोग के स्तर पर ध्यान देते हुए समस्त वर्ष के अंभादान का संग्रहण करने की प्रसारकों/केबल प्रचालकों की प्रथा, चैनल पसंद करने के विकल्प का अथवा, केबल प्रभारों की दरों में असमानता।

3.1.4 प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने यह देखा है कि 7 मार्च 2006 के टैरिफ संभोधन आदेभा में यथानिहित परिभाषा में परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है सिवाय कतिपय परिवर्धनों के, जिनमें टैरिफ छूट के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स की चिन्हित श्रेणियां भी शामिल हैं। एक प्रसारक ने इस आभाय का सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स को वह स्थान दर्भाना चाहिए जहां प्रसारकों को सेवाएं चाहिए और बहु-प्रणाली प्रचालक अथवा केबल प्रचालक के लिए नहीं, जैसा कि विद्यमान परिभाषा में उपबंधित किया गया है। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की परिभाषा को श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए तथा संरक्षण के विस्तार के लिए वाणिज्यिक स्थापनाओं की श्रेणियों की पहचान करनी चाहिए।

3.1.5 एक पृथक परिभाषा की आवश्यकता अथवा अन्यथा तथा विद्यमान परिभाषा को बनाए रखने के विषय पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है तथा प्राधिकरण का दृष्टिकोण निम्नलिखित है—

(i) ट्राई ने नोट किया है कि ऐसी स्थापनाओं, जो ग्राहकों आदि के प्रयोग के लिए सिगनल प्राप्त करती हैं तथा प्रसारकों सहित सेवा प्रदाताओं के बीच अधिक विवाद होने की आभा है, अतः प्रधान टैरिफ आदेभा के निर्वचन में स्पष्टता लाये जाने की आवश्यकता है। परंतु ट्राई ने एक अंतिम दृष्टिकोण अपनाने से पूर्व एक परामर्भा पत्र के माध्यम से विस्तृत विचार विमर्भा करने का निर्णय लिया है, जैसा कि ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (4) में कल्पित किया गया है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेभा में ऊपर संदर्भित प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रति इसकी प्रयोजनीयता के संबंध में स्पष्टता अपेक्षित थी, वाणिज्यिक स्थापनाओं की पहचान करने तथा इन स्थापनाओं के लिए केबल प्रभारों के विनियमन की रीति का उपबंध करने की आवश्यकता है। दोनो ही मामलों में, संरक्षण में कोई विस्तार करने के लिए केबल प्रभारों पर किसी भी रूप में संरक्षण की सीमा क्या बढ़ाई जाए, इसके लिए ऐसी स्थापनाओं की अलग से पहचान किए जाने की आवश्यकता है। अतः साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक

केबल सब्सक्राइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अतः होटल तथा इसके सहयोगियों का यह मत कि किसी पृथक परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

(ii) साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के बीच विद्यमान परिभाषा में किया जाना वाला विभेद विभिन्न परिसर की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है क्योंकि किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर की तुलना में किसी वाणिज्यिक स्थापना के संरक्षण की आवश्यकता और व्याप्ति समान नहीं है।

(iii) यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि विभोष रूप से होटलों, जिन्होंने उनके द्वारा संदत्त मूल्यों का विवरण प्रदान किया है, द्वारा भुगतान किए प्रभार सामान्य केबल उपभाक्ताओं की तुलना में भिन्न और अधिक हैं। अतः निम्न स्तर पर भी वाणिज्यिक स्थापनाएं, विभोष रूप से होटल तथा अन्य समान स्थापनाएं, विद्यमान व्यवसाय प्रचलन के अनुसार अलग अलग मानी जाती हैं।

(iv) दृष्टिकोण के संबंध में एक विकल्प ऐसी परिभाषा को अपनाना है, जो व्याप्ति में विस्तृत तथा प्रकृति में सम्मिलनकारी हो, जैसा कि विद्यमान परिभाषा में किया गया है जिसमें केबल सब्सक्राइबरों को श्रेणीबद्ध करने के आधार के रूप में प्रयोग का मानदण्ड अपनाती है। इस दृष्टिकोण में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों की पहचान का कार्य संरक्षण की आवश्यकता के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए टैरिफ विनियम के विस्तार अथवा अन्यथा के प्रयोजन के लिए किया गया है। अन्य दृष्टिकोण एक ऐसी परिभाषा अपनाना है, जो टैरिफ विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट श्रेणियों और उपश्रेणियों की व्यापक रूप से पहचान करती है तथा जिसमें ऐसी परिभाषित प्रत्येक श्रेणी के लिए विनियम के प्रकार को दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस कारण से कि यह श्रेणीकरण के लिए उद्देश्यपरक मानदण्ड तैयार करने में अत्यंत जटिल है, पहला दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है। यहां तक कि श्रेणीकरण पर दृष्टिकोण में प्राधिकरण ने टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की कतिपय श्रेणियों को बाहर करने की पद्धति अपनाई है और इस प्रकार वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की अवशिष्ट श्रेणी को टैरिफ विनियमों की पहुंच के भीतर कर दिया है। विनिर्दिष्ट श्रेणी को परिभाषित करने का कोई दृष्टिकोण किसी को बाहर छोड़ने तथा कतिपय अप्रत्याभितों को शामिल करने का कार्य करेगा। अपनी प्रतिक्रिया में पणधारियों ने केबल सब्सक्राइबरों के श्रेणीकरण के लिए मानदण्ड तैयार करने में कठिनाई के बारे में समान विचार रखे हैं। टैरिफ विनियमों में विभिन्न छूट प्रदान करते समय इस व्यापक परिभाषा के भीतर विनिर्दिष्ट

वृहद समूहों की पहचान करना आसान और बेहतर होगा। ऐसा दृष्टिकोण विवादों के लिए अवसरों को भी कम करेगा। एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर को परिभाषित करने में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इसमें शामिल हैं, तथा वे जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है विनिर्दिष्ट रूप से बाहर किए जा सकते हैं। अतः प्राधिकरण ने एक परिभाषा को रखने का यह दृष्टिकोण अपनाया है, जो व्याप्ति में व्यापक है तथा टैरिफ विनियम के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट समूहों की पहचान करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता पर आधारित है।

(v) इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उत्पाद समान है, भले ही यह एक साधारण केबल उपभोक्ता है अथवा वाणिज्यिक स्थापना, परंतु टीवी चैनलों के मामले में उत्पाद से प्राप्त किया गया मूल्य ऐसी स्थितियों में समान नहीं होता है जहां यह ऐसी स्थिति, जिसमें यह इसके ग्राहकों, उपभोक्ताओं के प्रयोजन के लिए आभाषित है, की तुलना में स्वयं के प्रयोग के लिए रखा जाता है। टेलीविजन चैनल अथवा कार्यक्रम, भले ही वह वाणिज्यिक स्थापनाओं, विभोष रूप से होटलों, क्लबों आदि द्वारा उत्कृष्ट सेवा के रूप में बेचे न भी जा रहे हों, परंतु वे मनोरंजन के एक साधन के रूप में हों, उनकी पैकेज सेवाओं को एक वर्धित मूल्य देने के लिए क्षमता अवश्य रखते हैं। अतः यह तरीका कि प्रसारण सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, एक साधारण केबल सब्सक्राइबर तथा एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के बीच अंतर करने के लिए प्रासंगिक बन जाता है।

(vi) परिभाषा के लिए अथवा संरक्षण के विस्तार हेतु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह के भीतर विनिर्दिष्ट श्रेणियों की पहचान करने के सुझाव के संबंध में, यह देखा गया है कि प्रयोग के आधार पर आधारित विद्यमान परिभाषा अत्यंत वृहद है तथा साथ ही यह ऐसी विनिर्दिष्ट श्रेणियों को कवर करती है।

(vii) मूल वास्तविकता पर विचार करते हुए, जहां 99 प्रतिभात सब्सक्राइबर मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों अथवा केबल ऑपरेटरों के माध्यम से सिगनल प्राप्त कर रहे हैं, ब्राडकास्टर्स का यह सुझाव कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को यह स्थान दर्भाए जाने की आवश्यकता होगी जहां सिगनल केबल ब्राडकास्टर्स के लिए अपेक्षित होंगे तथा ऑपरेटरों के लिए नहीं, स्वीकार्य नहीं हैं। विद्यमान परिभाषा लचीलापन प्रदान करती है चूंकि अन्यथा सुझाए गए प्रतिबंध होटलों आदि की विद्यमान व्यवस्थाओं के विभाज्य बहुमत के साथ ऑपरेटरों के संबंध में समस्याएं पैदा करेंगीं।

(viii) एजेंट तथा मध्यस्थ (ब्राडकास्टर्स के) के भाव के सम्मिलन के लिए सुझाए गए संभोधनों की जांच की गई थी तथा उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि मध्यस्थ केवल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेंगे तथा अन्यथा वे ब्राडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ix) जैसा कि कुछ पणधारियों द्वारा भी बताया गया है, प्राधिकरण का मत है कि श्रेणीकरण के लिए कोई भी एकल दृष्टिकोण आदर्श नहीं होगा तथा सूक्ष्म-प्रबंधन के प्रयास केवल बाजार में गतिरोध पैदा करेंगे जिससे विवाद पैदा होने का नवीन आधार पैदा हो जाएगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक संख्या विद्यमान परिभाषा की व्याप्ति के अंतर्गत आ जाएगी तथा फिर भी इसे संरक्षण की आवश्यकता होगी, जैसी कि किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर को होती है।

(x) यह उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पे-टीवी ब्राडकास्टर्स के लिए पृथक अंतरसंयोजन करार होने चाहिए तथा ऐसे करार ऐसे मूल्य के लिए किए जाने चाहिए जो किसी इलाके में किसी साधारण केबल उपभोक्ता के लिए प्रभारित किया जा रहा था। प्राधिकरण ने नोट किया है कि मुख्य तौर पर ब्राडकास्टर एमएसओ के साथ अंतरसंयोजन करार कर रहे हैं तथा स्वतंत्र केबल आपरेटर प्रयोज्यता से विनिर्दिष्ट स्थापनाएं जैसे होटल आदि निकाल रहे हैं तथा पूर्व अनुमति अपेक्षा का निर्धारण कर रहे हैं। अतः पृथक प्रबंधन का मुद्दा अपने स्थान पर है तथा वर्तमान व्यवस्थाओं में इस पहलू में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(xi) एक सुझाव है कि चूंकि उत्पाद समान है, अतः लाइसेंस फीस भिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न नहीं हो सकती और यह लागत तथा लाभ के आधार पर अवधारित की जानी चाहिए। आदर्श रूप में, समान गुणवत्ता वाले किसी उत्पाद के लिए एक समान मूल्य एक स्थिति तब बन सकता है, जब वस्तु की लागत तथा वस्तु के साथ जुड़े मूल्य के बीच में एक निश्चित कार्यात्मक संबंध हो और स्वयं वस्तु की लागत, लागत का एक मानक सेट तैयार करने के लिए आसानी से समर्थ हों। ब्राडकास्टिंग उद्योग के मामले में ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क लाभ के निर्धारण की विद्यमान प्रणाली के समुचित एप्रीसिएशन पर आधारित नहीं है विभोष रूप से एक गैर-कैस वातावरण में तथा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वस्तु की लागत निर्धारण में अंतर्निहित जटिलताओं पर विचार न करते हुए।

(xii) होटल एसोसिएशनों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकरण का मत है कि सेवाओं की विविधता प्रदान करने वाले बड़े होटलों के पास अपने हितों की संरक्षा करने की क्षमता है तथा उन्हें एक साधारण केबल उपभोक्ता के समान नहीं माना जा सकता है अथवा यहां तक कि उन्हें उन

वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक किस्मों के समान भी नहीं माना जा सकता है जिन्हें साधारण केवल उपभोक्ता के समान संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसी अनेक प्रकार की स्थापनाएं ग्राहको, उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए ऐसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही है। ब्राडकास्टर्स द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि होटलों के एक भाग के रूप में केवल प्रभार एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं तथा इसका परामर्भा प्रक्रिया के दौरान उन समूहों द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अन्य दूसरे भावों में, इस चिन्हित श्रेणी को संरक्षण के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की प्रभाव की उनके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

(xiii) यह नोट किया जाए कि फीड के स्रोत के आधार पर श्रेणीकरण का सुझाव मौलिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा तथा ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां टेलीविजन सिगनलों को प्राप्त करने की पहुंच प्राप्त करना संभव नहीं हो तथा ऐसा दृष्टिकोण होटलो को ब्राडकास्टर्स के साथ करार करने के स्थान पर सिगनल प्राप्त करने के लिए केवल आपरेटर्स के पास जाने को विवभा करेगा।

(xiv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम... उपभोक्ता भाव को निम्नानुसार परिभाषित करता है—

(घ) उपभोक्ता से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो—

(i) किसी विचारण के लिए कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिक रूप से भुगतान किया गया है तथा आंभिक रूप से वायदा किया गया है, अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अधीन किया गया है, तथा इसमें शामिल हैं ऐसे माल का कोई ऐसा प्रयोक्ता जो विचारण के लिए ऐसा माल खरीदता है जो संदत्त है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंभिक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया गया है , परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनः बिक्री अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन से ऐसा माल प्राप्त करता है, अथवा

(ii) किसी विचारण के लिए कोई सेवा किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंभिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंभिक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली

के अंतर्गत किया गया है तथा इसमें ऐसी सेवाओं का कोई लाभार्थी शामिल है, सिवाए ऐसे व्यक्ति के जो विचारण के लिए सेवाएं किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है, अथवा आंशिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंशिक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है, जब ऐसी सेवाएं प्रथम- उल्लिखित व्यक्ति के अनुमोदन से प्राप्त की गई हैं,

**स्पष्टीकरण:** उपखण्ड (i) प्रयोजन के लिए “वाणिज्यिक प्रयोजन” में किसी उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए अथवा अनन्य रूप से अपनी जीविका प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए स्वरोजगार के माध्यम से उसके द्वारा प्रयोग किए गए माल का प्रयोग शामिल नहीं है ;

बुनियादी तौर पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य और तात्पर्य तथा टैरिफ नियतन के लिए ट्राई की भाक्तियों का प्रयोग, दो बिलकुल भिन्न मामले हैं। धारा 11 (2) के अंतर्गत परिकल्पित टैरिफ विनियम, विभोष रूप से परंतुक, उल्लेख किए गए कारणों के अध्यक्षीन टैरिफ के प्रयोजनों के लिए नैसर्गिक रूप से विभिन्न उपचार का प्रावधान करता है जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जो सदृश्य श्रेणियों का सृजन करे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व्याख्या को इस बात से ही आरोपित किए जाने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर निर्भरता का यह सुझाव सहायक नहीं पाया गया है।

3.1.6 प्राधिकरण प्रस्तुत किए गए विचारों पर विचार करने के पश्चात तथा उक्त संदर्भित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विनिर्दिष्ट रूप से चिन्हित श्रेणियों के आधार पर परिभाषा के लिए दृष्टिकोण क्रियान्वयन हेतु अधिक जटिल तथा समस्याप्रद होगा तथा इससे विवादों के लिए नए आधार पैदा होने की पूरी संभावना है। अतः परिभाषा के प्रश्न के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना अधिक व्यवहार्य होगा। जिन समूहों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें टैरिफ संरक्षण की प्रयोजनीयता से हटाया जा सकता है तथा भोष को ऐसी अवभिष्ट श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके लिए संरक्षण की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण ने 7 मार्च, 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश में निहित वाणिज्यिक केवल सब्सक्राइबर्स की विद्यमान परिभाषा को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

3.2 वाणिज्यिक टैरिफ के निर्धारण की आवश्यकता और संबंधित मुद्दे भामिल किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रकार और विनियमन के लिए ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चिन्हित किए जाने की पद्धति।

3.2.1 कैस का प्रमुख उद्देश्य चैनलों का चुनाव प्रदान करना है। प्राधिकरण ने अपने 31.8.2006 के टैरिफ आदेभा में पे-चैनलों के संबंध में कीमते निर्धारित करने की पद्धति के औचित्य और कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सेट टोप बॉक्स योजनाओं के लिए मानक टैरिफ पैकेज की विस्तार से व्याख्या की है। जहां तक कैस क्षेत्र के संबंध में चैनलों के चुनाव की उपलब्ध का संबंध है, वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर और साधारण केबल सब्सक्राइबर समान स्तर पर हैं।

3.2.2 परंतु इसमें यह अंतर है कि पूर्ववर्ती, विभोषकर होटल और अन्य बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो ब्राडकास्टिंग और केबल सेवाएं उनके अपने पैकेज के साथ मूल्य वर्धित रूप में प्राप्त करते हैं, द्वारा इस भार को अपने ग्राहकों पर डाला जा सकता है। टेलीविजन चैनलों और व्यापार क्षमता जैसी अतिरिक्त सेवाओं के बीच प्रत्यक्ष कार्यात्मक संबंध नहीं हो सकता है जैसाकि किसी होटल या पब या क्लब का ग्राहक केबल टीवी देखने के उद्देश्य से होटल या पब या क्लब आदि में नहीं आएगा। परंतु सामान्यत इस बात को स्वीकारना होगा कि होटल के प्रतिनिधि पणधारकों द्वारा किए गए प्रतिकूल दावों के बावजूद ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं से ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उनके ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखने और उसे मजबूत बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो होटलों को वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, विभोषकर होटलों पर लगने वाले टैरिफ के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपीलीय प्राधिकरण या भीर्ष न्यायालय या ट्राई पर ले जाने की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ती।

3.2.3 किस वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और किसे छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पता लगाने की पद्धति क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर प्रकट किए गए विचार संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(i) होटल सहित वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को साधारण केबल सब्सक्राइबरों के समतुल्य रखने दिया जाए जिससे बाहर रखने या भामिल करने का प्रश्न और उसकी पद्धति का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसका कारण यह बताया गया कि जिस बाजार में ब्राडकास्टर ऑपरेट करता है,

वह एकाधिकारात्मक है जिसमें अभी तक प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है। इसके लिए ब्राडकास्टर को प्रदान किया जाने वाला एकमात्र सुरक्षोपाय मुद्रास्फीति तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखा जाना है।

(ii) भामिल न किए जाने के लिए विभिष्ट चिह्नांकन किए गए है, जिसमें वृद्धाश्रम और अस्पताल जिन्हें सरकारी वित्तपोषण से चलाया जा रहा है तथा जो निर्धन या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए चलाया जा रहा है या लाभ प्राप्त न करने वाली/धर्मार्थ संगठनों, लघु प्रतिष्ठानों और इसी तरह के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, उपभोक्ता की पसंद की पद्धति न रखे जाने तक पांच सितारा होटलों के सिवाय सभी प्रतिष्ठान, विकलांगों की संस्थाएं, जेल, सुधार गृह, बालक और महिला रिमांड गृह, छोटे दुकानदार, भौक्षणिक संस्थान, सभी प्रकार के धार्मिक स्थान, आवासीय चिकित्सीय देखरेख यूनिटें आती हैं।

(iii) होटलों द्वारा एक अंतर रखे जाने की मांग की गई है जिसमें यह बताया गया कि जो सिगनलों का स्वयं उपयोग करने वाले सब्सक्राइबर्स और आगे पारेषण करने वालों के बीच भेद किया जाना चाहिए। चूंकि होटल सिगनलों का उपयोग स्वयं करते है इसलिए उन्हें वाणिज्यिक सब्सक्राइबर नहीं माना जाना चाहिए।

(iv) समूह के रूप में ब्राडकास्टरों ने यह सुझाव दिया कि वाणिज्यिक टैरिफों को, कतिपय चिन्हित श्रेणियां जो ऊपर (दो) में उल्लिखित किए गए के समान है तथा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, के सिवाय, बाजार की भाक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(v) दूसरी राय यह है कि यदि कोई अ-ला-कार्टे पसंद या चैनलों को पृथक कंडयूट के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा रहा है तो वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

(vi) ग्रेटर गुवाहाटी होटल एसोसिएशन ने यह सुझाव दिया कि निम्न टैरिफ वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के होटलों को रियायती टैरिफ दिया जाना चाहिए।

(vii) 2 नवम्बर, 2006 को वेबसाइट पर दिए गए मसौदा टैरिफ आदेमों के प्रत्युत्तर में और 9 नवम्बर, 2006 को आयोजित पृथक बैठक में कतिपय विभिन्न टिप्पणियां प्राप्त हुईं। संक्षेप में ये टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

I ब्राडकास्टर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया गया:-

(क) कैस और गैर-कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए क्लब, बार, वाणिज्यिक मॉल, सिनेमा हॉल को तीन स्टार और उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल आदि की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया कि आवास और रहने की सुविधा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कट आफ मापदंड को 50 कमरों से कम करके 25 कमरे किए जाएं।

(ख) गैर-विनियमित किए गए को छोड़कर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के संबंध में प्रभारों के निर्धारण की संगत तारीख 16.12.2003 से न होकर 1 मार्च, 2006 से होनी चाहिए जैसाकि 7 मार्च 2006 के टैरिफ संशोधन आदेमा में अंतर्विष्ट है।

(ग) दूसरा सुझाव टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से 30 बिस्तरों या उससे अधिक वाले सभी अस्पतालों और यहां तक कि एक या दो स्टार की ग्रेडिंग वाले होटलों को भी पहले ही चिन्हित तीन स्टार और उससे ऊपर की ग्रेडिंग वाले होटल के साथ शामिल किए जाने के लिए था।

(घ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए मसौदा टैरिफ आदेमों में दी गई छूट- एक श्रेणी आपसी करार के अध्यक्षीन और दूसरी भोष श्रेणी साधारण केबल सब्सक्राइबर्स के रूप में भासित होती है- यह पब्लिक व्यूइंग एरिया में दिए गए ब्राडकास्ट सेवाओं और उसके टैरिफ के उपयोग की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है और इसे भी उस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए जहां टैरिफ का निर्णय कैस और गैर-कैस दोनों क्षेत्रों में आपसी करार द्वारा होता है।

(ङ) गैर कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेमा जिसमें एक व्याख्या अंतर्विष्ट है और यह उल्लेख किया है कि कमर्शियल केबल सब्सक्राइबर के लिए भुगतान की व्यवस्था क्या होगी जो मसौदा कैस एरिया टैरिफ आदेमा में नहीं दिया गया है और जिसे 7 मार्च, 2006 के यथासंशोधित अंतरिम टैरिफ संशोधन आदेमा में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

II होटलों की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया गया:

(क) ट्राई को टैरिफ निर्धारण से पूर्व एक पृथक परामर्श पत्र या एक युक्तिका परामर्श पत्र जारी करना चाहिए। अतः वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए टैरिफ तैयार करने का वर्तमान कार्य माननीय

उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार नहीं होगा और इसलिए मसौदा आदेभा को अस्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

(ख) टैरिफ आदेभा तीन स्टार और ऊपर के ग्रेडिंग के होटलों को अलग करता है और यह पक्षपातपूर्ण है।

(ग) जब ट्राई ने गैर कैस क्षेत्रों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 5 रुपये निर्धारित किया है इसी दर को होटल जैसे वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

(घ) आपसी करार पर छोड़े जाने की बजाय ट्राई को चाहिए कि वह टैरिफ निर्धारित करे जिसके लिए वह इन होटलों द्वारा भुगतान की गई ऐतिहासिक कीमतों का उपयोग कर सकता है।

(ङ) टैरिफ आदेभा जो 2004 के मूल आदेभा में किया गया संशोधन है, यह निर्वचन के अध्यक्षीन हो सकता है, जो भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभारों के लिए बातचीत पर जोर देने के लिए विभोषकर गैर-विनियमित होटलों के संदर्भ में है।

(च) होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों की दलील थी कि गैर-कैस क्षेत्रों की दभा में भी पृथक-पृथक चैनल की कीमत निर्धारण पर प्रस्तावित कैस क्षेत्र की भांति प्रतिबंध होना चाहिए।

III एक एमएसओ ने यह बताया है कि चूंकि सब्सक्राइबर या अन्यथा है, का मानना है कि स्टेण्डर्ड इंटर कनेक्ट एग्रीमेंट के खण्ड 5.2 (1) में फलस्वरूपी संशोधन की नितांत आवश्यकता है जिसके लिए वर्तमान में जिसके लिए ब्राडकास्ट की पूर्वानुमति अपेक्षित है। दूसरा सुझाव यह है कि चैनल समूह की अधिकतम कीमत जो कैस क्षेत्र के विनियोजित वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए उपबंधित है, उसे कैस क्षेत्र में गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जाना चाहिए। एक एमएसओ ने यह सुझाव भी दिया कि उसकी अ-ला-कार्ट कीमत किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होनी चाहिए और सेट टॉप स्कीमों को भी बाजार के अनुसार होना चाहिए। बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की दभा में केवल चैनल समूहों जिनके भीतर पसंद का विकल्प हो, को अनुमति दी जानी चाहिए।

3.2.4 प्राधिकरण ने यह नोट किया कि होटल जो प्रदत्त सेवाओं के आधार पर ग्रेडिंग प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना में अन्य संस्थानों का चिहनांकन या विभेद के लिए कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं

है। आच्छादित क्षेत्रफल, टीवी सेटों की संख्या, व्यवसाय की मात्रा जो कुछ मानदण्ड बन सकते हैं, के आधार पर किए जाने वाले विभेदन का कोई भी कार्य विवाद को जन्म दे सकता है और यह पक्षपात रहित नहीं हो सकेगा।

3.2.5 प्राधिकरण ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जो अस्पताल, भौक्षणिक संस्थान की श्रेणी में आते हैं जिनकी स्थिति केबल ब्राडकास्टिंग सेवाओं के वाणिज्यिक दोहन की क्षमता के अनुसार बड़े होटलों के समान हो सकती है। दूसरे भावों में, किसी विभोष ग्रेडिंग या विभोष प्रकार के होटल को टैरिफ संरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर ब्राडकास्टर्स ने अस्पतालों, तीन स्टार से कम की ग्रेडिंग वाले होटलों का संदर्भ दिया और यह माना कि ये संस्थान वाणिज्यिक दोहन कर रहे हैं तथा उन्हें भी टैरिफ विनियमन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

3.2.6 प्राधिकरण की यह राय है कि चिन्तित किए गए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के समूह जिसमें दी गई ग्रेडिंग से ऊपर की ग्रेडिंग वाले होटल आदि आते हैं तथा अस्पतालों के बीच बिल्कुल सादृश्यता रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि होटल आदि पर समूह के रूप में भिन्न मापदण्ड पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राधिकरण ने वर्तमान के लिए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें क्लबों, अस्पतालों, भौक्षणिक संस्थानों को, ऐसे संस्थानों से अपेक्षित सामाजिक आर्थिक दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए बड़े-छोटे, समूह वाले होटल आदि जो विभिन्न ग्रेडिंग से ऊपर के हैं, के साथ नहीं रखा गया है। इसके अलावा, दो लक्जरी अस्पतालों के बीच विभेद करने के युक्तिसंगत वस्तुपरक मापदण्ड विकसित करना और अधिक कठिन होगा। प्राधिकरण को यह स्पष्ट है कि संरक्षण का उद्देश्य ऐसे वाणिज्यिक अस्पतालों को लाभ अर्जन की सुविधा मुहैया कराना नहीं है, इसलिए वर्तमान में और आरंभ में अस्पतालों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

3.2.7 यद्यपि प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त अनुभव के आधार पर टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से वर्गीकरण के मुद्दे पर पुनः वापस जाने के विकल्प से सहमत नहीं है। यह भी मानना होगा कि ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान हैं जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु वे अपने स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन नहीं करते हैं। इस श्रेणी में भौक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, धार्मिक पूर्त

और अन्य मानव सेवा संस्थान, छोटी दुकानें, और ढाबा आदि और यह पूरी सूची नहीं है, आते हैं। ब्राडकास्टर्स के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि करार के अनुसार इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ब्राडकास्टर की अनुमति के बिना सिगनल नहीं दिया जाना है, का केवल मात्रा और करार को प्रवर्तित करने में आने वाली कठिनाईयों के कारण ब्राडकास्टर्स द्वारा लक्षित नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ ब्राडकास्टर्स ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एमएसओ द्वारा सिगनल दिए जाने और उसको मॉनीटर करने के लिए एजेंट नियुक्त किए हैं। यह अभी भी स्पष्ट है कि यह समूह ब्राडकास्टर्स का लक्ष्य नहीं है।

3.2.8 प्राधिकरण ने पणधारकों द्वारा दिए गए विभिन्न विभिष्ट टिपणियों/ सुझावों की भी जांच की और यह पाया कि –

(i) टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए भामिल न किए जाने या भामिल किए जाने वाले प्रतिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी का पता लगाने का दृष्टिकोण

(ii) तथापि पब्लिक व्यूइंग एरिया को भामिल किए जाने के बारे में किए गए अनुरोध को विभिष्ट रूप से भामिल नहीं किया गया है क्योंकि गैर-विनियमित श्रेणी जिसमें 3 स्टार या उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल भामिल हैं, के संबंध में प्रस्तावित टैरिफ छूट “पब्लिक व्यूइंग एरिया” के संबंध में आपसी करार के मार्ग में भी दिया गया है। ब्राडकास्टर्स के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा इसे स्पष्ट किए जाने की सलाह दी गई। इसके अलावा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स की गैर चिन्हित श्रेणी से भी वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स द्वारा भुल्क निर्धारित करके कार्यक्रमों के वाणिज्यिक दोहन की निश्चित मंभा से कार्यक्रमों को दिखाने के लिए लोक कार्यक्रमों का उपयोग असामान्य बात नहीं है। भोष श्रेणी में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स को संरक्षण देने की मंभा का ऐसे कार्यक्रमों को विभिष्ट रूप से भामिल न किए जाने के अभाव का दुरुपयोग हो सकता है। अतः टैरिफ आदेभों को समुचित रूप से संभाधित करके इसके लिए उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(iii) क्लब, मॉल, सिनेमा हॉल को भामिल किए जाने के लिए किए गए अनुरोध के बारे में किए गए प्रस्ताव को पहले बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। कमरों की संख्या को 50 से कम करके 25 किए जाने का प्रस्ताव भी तर्कसंगत नहीं पाया गया।

(iv) क्षेत्रफल या टीवी सेटों की संख्या पर आधारित मानदण्ड भी और अधिक व्यक्तिपरक वर्गीकरण होगा और जिसे कार्यान्वित करना कठिन होगा।

(v) जैसा कि परामर्श की प्रक्रिया के दौरान नोट किया गया था वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बहुत अधिक संख्या जो चिन्हित श्रेणी से इतर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के समूह में आते हैं वे वस्तुतः ब्राडकास्टर्स द्वारा लक्षित नहीं किए जा रहे हैं सम्भवतः इसका कारण पूर्वानुमति के खण्ड के प्रवर्तन में आने वाली कठिनाईयां हैं।

(vi) इन किसी भी दशा में ट्राई की राय में इनमें से अधिकांश समूह अपने दर के बारे में बातचीत नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्हें सामान्य केबल उपभोक्ता की भांति संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

(vii) समूह के रूप में होटल विभोष रूप से बड़े होटलों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े सब्सक्राइबर हैं और यदि उनके साथ ब्राडकास्टर्स का सौदा सफल नहीं होता है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

(viii) पणधारकों ने भी यह प्रस्ताव किया कि संस्थानों की कुछ श्रेणियां जो सेवाओं को उपयोग वाणिज्यिक दोहन के लिए नहीं करते हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। प्राधिकरण ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे यह विवाद उत्पन्न होगा कि विभिन्न सब्सक्राइबर सिगनलों का वाणिज्यिक दोहन कर रहा है या नहीं।

(ix) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा भुगतान के आधार का उपबंध करने वाली व्याख्या के बारे में मसौदा टैरिफ आदेभा में एक परिवर्तन का सुझाव दिया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अधिकृत केबल आपरेटर/ एमएसओ के साथ करार करता है।

(x) चूंकि कतिपय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को साधारण केबल उपभोक्ताओं की तरह संरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए पे-चैनलों की कीमत पर प्रतिबंध न लगाए जाने तथा सेट टॉप बॉक्स स्कीमों संबंधी सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है। इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट में परिवर्तन के

बारे में सुझाव पर यह बताया गया कि सब्सक्राइबर का चिन्हाकन एक अलग मुद्दा है और वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए विभिन्न उपबंध की अपेक्षा का एक खण्ड ऐसा खण्ड है जो स्टैण्डर्ड इंटर कनेक्ट एग्रीमेंट में विद्यमान है।

3.2.9 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की एक श्रेणी होगी जिसमें 3 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग के होटल, हैरिटेज होटल और अन्य होटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जिनमें 50 या अधिक कमरे हैं, शामिल होंगे। इस समूह के संबंध में टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा। इस चिन्हित श्रेणी से बाहर के अन्य सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 5 रु प्रति चैनल तक सीमित होगा। तथापि, दोनों श्रेणियों के वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए पब्लिक व्यूइंग एरिया में विभोष समारोह पर कार्यक्रम दिखाने के लिए टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा। इसी प्रकार से, 3 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग के होटल, हैरिटेज होटल और अन्य होटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जिनमें 50 या अधिक कमरे हैं, जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में सेट टाप बॉक्सों की आपूर्ति की योजना के संबंध में भिथिलता दी जाएगी, जबकि अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 31.08.2006 के टैरिफ आदेभा के खण्ड 5 (ii) में अंतर्विष्ट लागू होंगे।

3.2.10 होटल और इसके संघों द्वारा उठाई गई एक समस्या यह थी कि चैनलों की बिक्री चैनल समूह में की जाती है और उनकी पसंद के चैनल का विकल्प नहीं होता है। प्रतिष्ठानों की छूट प्राप्त श्रेणियों को भी वास्तविक पसंद का विकल्प सुनिश्चित कराने के लिए ब्राडकास्टर्स के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि अ-ला-कार्टे आधार पर चैनल दिए जाएं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलग चैनल की पसंद भ्रामक न हो, टैरिफ आदेभा संभोधन में यह उपबंध किया गया है कि अलग अलग चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य चैनल समूह के चैनल की औसत कीमत के तीन गुणा से अधिक न हो और चैनल की अलग अलग कीमत चैनल समूह के अधिकतम खुदरा मूल्य के 150 प्रतिभात से अधिक नहीं होगी। यह चैनल की कीमतों में वृद्धि पर तथा पसंद को भ्रामक बनाकर के लिए चैनल समूह के कीमत निर्धारण पर लगाम का कार्य करेगी।

3.2.11 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों, विभोषकर जो पहचान कर ली गई स्थापनाओं के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ने चिंता व्यक्त की है कि ब्राडकास्टर मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाने के लिए आपसी करार के मार्ग का प्रयोग करेंगे। प्राधिकरण का मानना है कि स्थगन के लिए पहचान कर ली गई वाणिज्यिक स्थापनाओं के वर्ग बातचीत करने के लिए ब्राडकास्टरों के साथ साधारणतः बराबरी की स्थिति में होंगे। तथापि, प्राधिकरण उनकी चिंताओं के प्रति बेखबर भी नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण इस खण्ड के मूल्यों के संचलन को ध्यानपूर्वक देखेगा और यदि आवश्यक हुआ तो प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करेगा। इसी प्रकार, ऐसी कई संस्थाएं होंगी, जो कि आपसी करार के लिए बातचीत करने के क्षमता के संदर्भ में समान हो और इनके पास बाद में जाया जा सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो पहचानी गई सूची की समीक्षा की जा सकती है। प्राधिकरण मूल्यों में वृद्धि की सीमा जानने के लिए भुरुआत में मासिक आधार पर ब्राडकास्टरों से वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए उनके टैरिफ के बारे में अलग से पूछेगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

3.2.12 होटल संगठनों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों में से एक मुद्दा तथा ड्राफ्ट टैरिफ आदेभा के प्रति उनका उत्तर यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेभा के संदर्भ में ट्राई को आवश्यक रूप से टैरिफ निर्धारित करना चाहिए। इस विषय की जांच की गई है। उच्चतम न्यायालय ने ट्राई को केबल टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का निर्देभा दिया है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टैरिफ आदेभा में कतिपय वर्गों के लिए टैरिफ का नियतन भामिल है जबकि किसी ग्रेड विभोष से ऊपर के होटलों के मामले में इसे आपसी बातचीत पर छोड़ दिया गया है। अन्यत्र यह भी इंगित किया गया है कि आपसी बातचीत के परिणाम पर सूक्ष्म नजर रखी जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में हस्तक्षेप किया जाएगा। अप्रैल, 2006 में जारी किया गया परामर्भा पत्र भी एक विकल्प के रूप में टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से कतिपय वर्गों को छोड़ने का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। बनाए गए विनिर्दिष्ट प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि वाणिज्यिक टैरिफ को टैरिफ विनियम के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा, यह विनिर्दिष्ट रूप से पूछा गया था कि क्या टैरिफ विनियम को सभी प्रकार के वाणिज्यिक स्थापनाओं को कवर करना चाहिए या कुछ वर्ग छोड़ दिए जाने चाहिए। अतः यह आपत्ति बिल्कुल भी वैध नहीं है।

3.2.13 होटल संगठनों द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा यह है कि एक नया परामर्भा पत्र जारी किया जाए या विद्यमान परामर्भा-पत्र की एक युक्तिका जारी की जाए। इस बात का विनिर्दिष्ट रूप से समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेभा द्वारा किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से नए परामर्भा पत्र की आवश्यकता से मना कर दिया गया है। तदनुसार, ट्राई अधिनियम की धारा 11 (4) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने ड्राफ्ट टैरिफ आदेभा का प्रस्ताव करने का निर्णय किया है जिससे की पणधारको को अपनी टिप्पणियां करने का एक और अवसर दिया जा सके। होटलों और होटल संगठनों जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले के पक्ष हैं,को भी 9 नवम्बर, 2006 व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ उसी प्रकार दिया गया जैसा कि ब्राडकास्टर्स को दिया गया था।

### 3.3 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की दरें निर्धारित करने की पद्धति

3.3.1 परामर्भा प्रक्रिया के दौरान विद्यमान दरों के बारे में होटल संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह नोट किया गया कि होटलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले केबल प्रभारों में कोई एकरूपता नहीं है। हालांकि, ब्राडकास्टर्स ने बताया है कि वे रेट कार्ड के आधार पर होटलों से प्रभार वसूल रहे हैं और उनमें से कुछेक ने बताया है कि पिछले दो वर्षों से (भाायद विवाद के टीडीएसएटी के पास पहुंचने की तारीख से पहले) प्रति कमरा दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, यह नोट किया गया कि कुल भुगतान में तय कर लिए गए होटलों के अधिभोगिता स्तर, जिसके लिए केबल प्रभार लिए जाते हैं, के अनुसार भिन्नता हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में होटल केबल आपरेटरों और एमएसओ से फीड प्राप्त करते हैं (जोकि इंटरकनेक्ट करार में देखे गए निर्धारण के अनुसार विधिक नहीं हैं) जिससे की होटलों से वसूली जाने वाली दरों में अनेकता आ गई है। दरों में अनेकता, भुगतान करने की क्षमता पर आधारित गैर निवारक प्रणाली में प्रचलित क्रॉस-सब्सिडी की प्रथा प्रमुख कारण है। दरों की अनेकता होने के कारण इस स्थिति में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए कोई विभाित टैरिफ निर्धारित करने की पद्धति कठिनाई पैदा करती है। पुनः, वर्तमान गैर-निवारक पद्धति में साधारण केबल उपभोक्ताओं से केबल प्रभार वसूले जाने में अनेकता की विद्यमान स्थिति इन दरों को वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने में कठिनाई पैदा करती है। वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के वर्गीकरण के संबंध में प्राधिकरण के निर्णय और पिछले पैराओं में इस पर दिए गए टैरिफ के आलोक में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता जरूरी

नहीं है। सब्सक्राइबर्स के व्यक्तिगत वर्ग के लिए दरें निर्धारित करने का कोई भी प्रयास उपर्युक्त वर्णित कारणों से वस्तुपरक रूप से युक्तिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

3.3.2 दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह था कि वाणिज्यिक टैरिफ को साधारण केबल सब्सक्राइबर से भिन्न रखना है, तो 5 सितारा होटलों के मामले में वाणिज्यिक टैरिफ साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा दिए जाने वाले टैरिफ का 3 गुना तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं के मामले में 2 गुना होना चाहिए। एक अन्य सुझाव यह है कि ऐतिहासिक दरें (जैसाकि साधारण केबल उपभोक्ता के लिए किया जाता है), जो कि विवाद उठने से होटलों में प्रचलित थीं, उन्हें आधार बनाया जाए और इस आधारिक दर को मंहगाई और उद्योग के विकास के लिए समायोजित किया जा सकता है। होटल संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह नोट किया गया है कि दिसम्बर, 2003 में विभिन्न होटलों और विभिन्न स्थानों पर वसूली गयी केबल सेवा दरें न केवल काफी असमान हैं बल्कि वृद्धि की सीमा में भी एकरूपता नहीं है।

3.3.3 ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स, जो कि केवल केबल ऑपरेटर को भुगतान कर रहे हैं और जिनका ब्राडकास्टर्स के साथ कोई लिखित करार नहीं है, के लिए रक्षोपाय जारी करने के संबंध में प्रक्रिया बताने वाले सुझाव प्राप्त कर लिए गए हैं। प्राधिकरण ने इन सुझावों की जांच की है और ऐसे मामलों जो आपसी करार द्वारा और अधिक कार्यकुशलता से निपटाए जा सकते हैं, के लिए प्रक्रिया या लॉजिस्टिक्स का सुझाव गतिरोध पैदा कर सकता है। अतः प्राधिकरण ने इसे पक्षों के बीच आपसी करार पर छोड़ने का निर्णय किया है।

कैस क्षेत्रों के वाणिज्यिक अंभादाताओं के लिए मसौदा टैरिफ संभोधन आदेभा पर प्राप्त टिप्पणियों का सार

टिप्पणियां भेजने वाले स्टेकहोल्डरों की विषय – सूची

क्र.सं.	नाम	कहां से प्राप्त हुई
1.	नोवेक्स कम्यूनिकेभांस प्रा.लि (नोवेक्स)	मुंबई
2.	इंडसइंड मीडिया एंड कम्यूनिकेभांस लि. (आईएमसीएल)	मुंबई
3.	जेपी होटल्स लि. (जेपी)	नई दिल्ली
4.	होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएभान (वेस्टर्न इंडिया) [एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई)]	मुंबई
5.	होटल एसोसिएभान ऑफ इंडिया (एचएआई)	नई दिल्ली
6.	सेट डिस्कवरी प्रा.लि. (सेट)	मुंबई
7.	स्टार इंडिया प्रा.लि. (स्टार)	नई दिल्ली
8.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि. (ईएसपीएन)	नई दिल्ली
9.	हैथवे केबल एवं डाटाकॉम प्रा.लि. (हैथवे)	मुंबई
10.	जी टर्नर लि. (जी)	नई दिल्ली

परामर्भा के लिए खण्ड

2. प्रधान आदेभा में, खण्ड 5 का वर्तमान उपखण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित प्रावधान तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां जोड़ी जाएंगी:

“परन्तु इस उपखण्ड के प्रावधान निम्नलिखित प्रकार के वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू नहीं होंगे

- (i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल;
- (ii) हैरिटेज होटल

(iii) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थान, जिनसे रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों।”

3. प्रधान आदेभा में, खण्ड 6 को वर्तमान उपखण्ड (vi) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

“(vi) (क) उपखण्ड (i) से (v) नीचे (ख) में सूचीबद्ध वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के अलावा सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स पर लागू होगा।

(ख) वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ऐसे सब्सक्राइबर्स द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले अधिकतम फुटकर कीमत के मामले में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी और न कोई न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि निर्धारित की जाएगी:

(i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेंटिंग वाले होटल।

(ii) हैरिटेज होटल

(iii) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थान, जिनसे रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों।

परंतु यह कि ब्राडकास्टर्स/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स/केबल ऑपरेटर्स द्वारा पेभा किए जाने वाले चैनल समूह के अलावा इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए चैनल अ-ला-कार्टे आधार पर भी मुहैया कराए जाएंगे।

परंतु यह और भी कि जब कभी चैनल समूह की पेभाकभा की जाएगी, यह पेभाकभा निम्नलिखित भातों के अध्यक्षीन की जाएगी:

I किसी एक चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत, उस चैनल समूह, जिनका वह हिस्सा हो, के औसत चैनल कीमत के तीन गुने से ज्यादा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण: यदि किसी चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत  $x$  रू0 प्रतिमाह हो और चैनलों की संख्या  $y$  हो, तो चैनल समूह की औसत कीमत  $x$  रू0 को  $y$  से विभाजित कर निकाली जाएगी।

II अलग अलग चैनलों की अधिकतम फुटकर कीमत का जोड़ चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत के 150 % से ज्यादा नहीं होगा।

### प्राप्त टिप्पणियां

1. प्रस्तावित टैरिफ आदेभा में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को सुरक्षा प्रदान की गई है। एक सिंगल रूम का टैरिफ 1500 रु. से 8000रु. प्रतिदिन है। नोवेक्स की राय में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को भी, 5 सितारा, 4 सितारा और 3 सितारा होटल के रूप में लिया जाना चाहिए और चैनलों के टैरिफ पार्टियों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। नोवेक्स ने यह भी कहा कि लक्सरी अस्पतालों का प्रति बेड प्रभार 750 रु. से 6000 रु. प्रतिदिन है। अतः नोवेक्स की राय है कि एक ऐसे सभी अस्पताल, जिनके पास 30 से ज्यादा बेड हों, उन्हें भी होटलों की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा म्यूनिसेपैलिटी के अस्पतालों पर ट्राई द्वारा निर्धारित दर प्रभारित की जाए। (नोवेक्स द्वारा अस्पतालों के रेट कार्ड संलग्न किए हैं परन्तु इस सार में संलग्न नहीं किये गये हैं।)(नोवेक्स)

2. प्रति चैनल 5 रु. का अ-ला-कार्टे, वाणिज्यिक संस्थापना के लिए वैध नहीं होना चाहिए; प्रति चैनल समुचित अधिकतम राशि की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। बड़ी वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए केबल चैनल समूहों की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, किसी भी चैनल समूह का विकल्प होना चाहिए। चैनल और चैनल समूह की फुटकर कीमत का फार्मूला स्वीकार्य है। सेट टॉप बॉक्स (एसटीपी) की किराया योजना अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और जैसा कि ट्राई के नोट में निर्धारित किया गया है, दोनों प्रकार के वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए कोई भी योजना (बाजार द्वारा) बनाई जा सकती है। (आईएमसीएल)

3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेभा को देखते हुए जेपी होटल लि. का कहना है कि ट्राई को सब्सक्राइबरों को विभिन्न श्रेणियों के श्रेणीकरण का सुझाव नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक यूटिलिटी के सभी सब्सक्राइबर समान हैं चाहे कोई सब्सक्राइबर धनी है या गरीब। वर्गीकरण करने का कोई भी प्रयास भेदभाव करना माना जाएगा और इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 301/305 के उपबंधों का उल्लंघन होगा। उपर्युक्त को ध्यान में

रखते हुए ट्राई को सभी सब्सक्राइबर्स को एक श्रेणी का समझना चाहिए। यह सराहनीय है कि ट्राई ने यह सोचा है कि सब्सक्राइबर अपने विवेक से विनिर्दिष्ट संख्या में चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा उन्हें पूरा चैनल समूह लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के अधिसूचित FÉäjÉ àÉå °É£ÉÉÒ °Éα°ÉµÉÉÉ<αÉ®Éå BÉÉä ÉÉäÉA BÉÉè°É °Éä °ÉÆαÉÆÉÉvÉiÉ ]èÉÉ®{ÉE +ÉÉän¶É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÉcA\* <xÉ SÉÉ® +ÉÉÉvÉ°ÉÚÉÉSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉÉÉä nÚ°É®ä MÉè®-FÉäjÉÉå °Éä +ÉäÉMÉ ®JÉxÉä BÉÉÉ {ÉÚ®É +ÉÉèÉÉSÉiªÉ cè +ÉÉè® ªÉc 'É°iÉÖ{É®BÉÉ £ÉÉÒ cè\* (जेपी)

4. एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) ने कहा है कि ट्राई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या टैरिफ में ब्राडकास्टर्स द्वारा मांगा गया कॉपीराइट भुल्क भी शामिल है। ट्राई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को लोकल केबल ऑपरेटर्स अथवा ब्राडकास्टर्स, जैसे कि उनके द्वारा 2004 से मांग की जा रही है, के साथ करार करना चाहिए। ट्राई ने निश्चय किया है कि होटलों को 'छोड़ी गई श्रेणी' में शामिल न किया जाए और इसे बाजार की भाक्तियों पर छोड़ा गया है। यह भेदभावपूर्ण है। पूरे देभा में छोड़ी गई श्रेणी में लगभग 850 होटल ही हैं और उन्हें अधिसूचना की परिधि में शामिल न करना अनुचित, असमान तथा भेदभाव करना है। अतः यह समझ में नहीं आता है कि होटलों को छोड़ी गई श्रेणी की इस छोटी संख्या के लिए ट्राई ने उनके लिए टैरिफ निर्धारित करने के बजाय उन्हें बाजार की भाक्तियों पर छोड़ना क्यों चुना। पहले परामर्श-पत्र में जैसा सुझाव दिया गया था, अनिश्चितता और भेदभाव करने के बजाय ट्राई द्वारा एक ऐसा टैरिफ निर्धारित किया जा सकता था जो वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स द्वारा इस समय भुगतान किए जा रहे टैरिफ से 10 % ज्यादा हो सकता था। छोड़ी गई संस्थापनाओं का निर्धारण करते समय यह बात ध्यान में आई कि बहुत से अन्य वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसे कि रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लीनिक, वाणिज्यिक कार्यालय, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेभान, भौक्षणिक संस्थान, क्लब आदि को सामान्य केबल सब्सक्राइबर के रूप में माना गया है, जबकि टैरिफ के प्रयोजन के लिए मात्र इस 850 संख्या को ही वाणिज्यिक श्रेणी में रखा गया है। एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) इस बात पर बल देना चाहता है कि होटल ब्राडकास्टर्स द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के थोक उपभोक्ता हैं न कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसा कि ट्राई द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। थोक

उपभोक्ता के रूप में, ट्राई को, वास्तव में, एक विभोष कम टैरिफ निर्धारित करना चाहिए, जैसा कि किसी दूसरे उत्पाद/ सेवा के थोक उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के मामले में किया जाता है। एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार के श्रेणीकरण के लिए ट्राई को 50 या अधिक कमरों का आंकड़ा कैसे प्राप्त हुआ। टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्राई ने उपयोग के स्थान के आधार पर उपभोक्ता की श्रेणी निर्धारित करके अलग टैरिफ निर्धारित किया है। ब्राडकास्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंधों का गैर-कैस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता के पास उत्पाद का चयन करने का कोई विकल्प नहीं है। दो ड्राफ्ट अधिसूचनाओं को जारी करते समय ट्राई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2006 के आदेश के भावों तथा भावों का पालन नहीं किया है। ऊपर जो भी कहा गया है, उसे देखते हुए एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) का सुझाव है कि (i) सामान्य केबल सब्सक्राइबर्स के लिए कैस क्षेत्र में निर्धारित दर ही सभी किस्म के वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के लिए भी स्वतः लागू किया जाना चाहिए। (ii) ट्राई को सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए, जो थोक उपभोक्ता हों, को टैरिफ में 10% छूट निर्धारित करनी चाहिए। गैर कैस क्षेत्र के मामले में ट्राई प्रतिमाह, प्रति चैनल 4 रु की दर पर रियायत अधिसूचित कर सकती है और थोक उपभोक्ताओं के लिए 10 % रियायत प्रदान की जा सकती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। (iii) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि उक्त टैरिफ में ब्राडकास्टर्स द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट भुल्क भी शामिल हैं। (iv) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि सामान्य केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को यह स्वतंत्रता होगी कि वे लोकल केबल ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर के साथ करार करें। (v) यदि सब्सक्राइबर द्वारा सेवा का उपयोग बंद कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर अनावश्यक लाभ न कमाए इसलिए सामान्य सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर दोनों रिबेट पाने के पात्र होंगे। उदाहरण के लिए यदि एक आवासीय ग्राहक 30 दिन से ज्यादा के लिए स्टेभान से बाहर जाता है अथवा यदि एक होटल वर्ष में 30 दिन से ज्यादा के लिए बन्द होता है तो वह आनुपातिक आधार पर रिबेट पाने का पात्र है क्योंकि उत्पाद/सेवा का बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। [एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई)]

5. ट्राई ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या अलग-अलग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए समान दूरसंचार सेवा के लिए अलग-अलग दरों की आवश्यकता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है जहां अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं वहां प्राधिकरण को इनके कारण

दर्ज करने थे। (यह ट्राई अधिनियम की धारा 11 (2) का वास्तविक महत्व है, 9.10.2006 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इस बात को पहले से ही माना गया है कि ट्राई टैरिफ फ्रेम करने का कार्य कर रहा है। इस आदेभा के आगे यह भी अन्तर्निहित है कि माननीय ट्राई टैरिफ निर्धारित करने का कार्य जारी रखे, अपील का परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मुद्दों से संबंधित परामर्भा पत्र में अलग-अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अलग श्रेणी बनाने की आवश्यकता पर कोई चर्चा नहीं की गई है और उक्त से मिलता जुलता एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या ट्राई को वाणिज्यिक प्रयोजकों के लिए टैरिफ निर्धारित करना चाहिए या नहीं क्योंकि माननीय टीडीसैट ने इस पर विचार करने के लिए कहा है। अतः अनुरोध है कि ट्राई को नए परामर्भा-पत्र में परिभाषित जोड़कर एक स्वतंत्र निश्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता के मामले में ट्राई को विभिन्न निकायों के व्यापक प्रतिनिधियों के विचार जानने चाहिए और केवल एचएआई/एचआरए डब्ल्यूआई को आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए इस पूरी कसरत की भुरुआत एचएआई द्वारा की गई थी क्योंकि ब्राडकास्टर्स को पर्याप्त धनराशि का भुगतान करने के लिए एचएआई के सदस्यों पर दबाव डालने के उद्देश्य से ब्राडकास्टर्स द्वारा दबाव बनाने की नीति अपनाई जा रही थी। साथ ही, उन्हें कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही थी। इसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात है कि ट्राई किस प्रकार इस निश्कर्ष पर पहुंचा कि सब्सक्राइबर्स की इस श्रेणी (जो मुख्यतः 3 सितारा या उससे ऊंचे होटल हैं) को आगे टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राडकास्टर अपने संबंधित फील्ड में एकाधिकार रखते हैं और अलग अलग होटलों को समान धरातल पर उनसे मोलभाव करने की भाक्ति नहीं है। जहां इस समय मुक्त बाजार की भाक्तियों को अनुमति देने की बात कही वहां वाणिज्यिक संस्थापनाओं के साथ काफी भेदभाव हो जाएगा। जहां एक कैस क्षेत्र में कुल चैनल समूह की तुलना में अलग अलग चैनलों की एमआरपी निर्धारित करने के कुछ मानदण्ड हैं वहीं गैर-कैस क्षेत्र में ऐसे कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। परामर्भा प्रक्रिया के दौरान पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि ब्राडकास्टर, अलग अलग चैनल की कीमत निर्धारित करने के मामले में ऐसे मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं। वास्तव में 3 सितारा या उससे ऊंची रेटिंग के होटलों के पास अधिकांशतः अपना हेड एण्ड उपकरण है और वे उन पर भारी खर्च करते हैं। ऐसी संस्थापनाओं को वास्तव में कम दरों की पेभाकभा की जानी चाहिए और उन्हें कीमतों की सुरक्षा के बिना अपने बचाव के कार्य में लगने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह भी दोहराया जाता है कि यदि 1.10.2004 की अधिसूचना को सब्सक्राइबर्स की सभी श्रेणी के लिए लागू किया

जाए तो इससे पूरा न्याय होगा। ऐसा इस तथ्य को देखते होगा कि 26.12.2003 को भी इस श्रेणी के सब्सक्राइबर, जिन्हें अब विनियमित न करने की मांग की जा रही है, सभी अन्य श्रेणियों से काफी ज्यादा भुगतान कर रहे थे। दुनियाभर में कहीं भी घरेलू तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के टैरिफ में कोई अंतर नहीं है। ट्राई ने टेलीकॉम सेवाओं के मामले में अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैरिफ की आवश्यकता नहीं समझी है। इस प्रकार, इसके लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्राडकास्टिंग के संबंध में इस प्रकार के अन्तरीय टैरिफ के कारण स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ट्राई को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब यह टैरिफ तैयार करने के उद्देश्य से यथापूर्व स्थिति आदेभा के परिवर्धन के लिए उच्चतम न्यायालय गई थी, तो क्या कतिपय श्रेणियों के लिए कोई भी टैरिफ निर्धारित न करने का विकल्प रख सकती थी। यही नहीं, ऐसे मसौदा टैरिफ आदेभा, यदि ये अधिसूचित हुए होते, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही का खण्डन कर देते। वाणिज्यिक केबल अंभादाता की परिभाषा को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले का कि क्या होटल उपभोक्ता हैं अथवा अंभादाता, उनके आगंतुक नहीं, का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जब एक बार उन्हें अंभादाता माना जाएगा तो उस मामले में वे 2003/2004 की प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे तथा उनके लिए एक पृथक श्रेणी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा। होटल ब्राडकास्टर्स को उन दरों का भुगतान कभी नहीं कर रहे थे जो दरें घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जा रही थी। यहां तक कि 2003/2004 में होटलों द्वारा संदाय की जा रही दरें घरेलू उपभोक्ताओं से कहीं अधिक थी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन दरों को ऐतिहासिक दरों के रूप में नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेख किया जाता है कि उस समय तक जब तक इंटर कनेक्ट व्यवस्था प्रवर्तन में नहीं है, ट्राई को ब्राडकास्टर्स को इस बात पर सहमत करना चाहिए कि वे उनके द्वारा प्राधिकृत निकटतम केबल ऑपरेटर के माध्यम से होटलों को सिगनल देने से इंकार न करें। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि जब तक कि उपर्युक्त समस्त बिंदुओं तथा साथ ही माननीय ट्राई के समक्ष 9.11.2006 को हुई बैठक में मौखिक पर विचार नहीं किया जाता और उन पर कार्यवाही नहीं की जाती, मसौदा टैरिफ आदेभाओं को प्रास्थगित किया जाए/वापस ले लिया जाए। (एचएआई)

6. एसईटी (सेट) ने कहा कि कैस क्षेत्र में वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा ट्राई को मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार भाक्तियों को अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। 31 अगस्त, 2006 के कैस टैरिफ आदेभा को अनुसूचित करने तथा साधारण केबल अंभादाताओं को सभी चैनलों के लिए एक सामान्य एमआरपी निर्धारित करने के पीछे

ट्राई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। अतः जबकि किसी प्रकार का उपभोक्ता हित अंतर्निहित नहीं है, कैंस क्षेत्रों में वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं को साधारण केबल अंभादाताओं के समान एक ही स्तर पर मानने के पीछे ट्राई के लिए कोई औचित्य अथवा मूलाधार विद्यमान नहीं है। अतः सेट ने सिफारिभा की है कि ट्राई को कैंस टैरिफ आदेभा के उपबंध वाणिज्यिक केबल अंभादाताओं पर लागू नहीं करने चाहिए। (सेट)

7. स्टार द्वारा बताई गई स्थिति यह है कि किसी भी श्रेणी की किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए मूल्य विनियम बिलकुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वे लक्षित प्रयोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता पड़े तथा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे वाणिज्यिक लाभ के लिए इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं तथा अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में प्रीमियम प्रभारित करते हैं। इसके अलावा, किसी प्रकार का मूल्य विनियमन व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाताओं जैसे डीटीएच तथा आईपीटीवी के साथ उनके समापन लेन-देनों की प्रक्रिया को जटिल ही बनाएगा। स्टार ने अनुरोध किया है मसौदा टैरिफ आदेभा में मोटल, सराय भावों के पश्चात 'क्लबों' को जोड़ा जाना चाहिए तथा इसी प्रकार कमरों की संख्या 50 से 25 तक संभोधित की जानी चाहिए। इन स्थापनाओं के लिए किसी प्रकार का मूल्य संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए। अनेक वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में चैनलों द्वारा प्रसारण इन स्थापनाओं के उत्पादन प्रदान करने का अभिन्न भाग है। वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे रेस्तरां, बार, सिनेमाघरों तथा 5 सितारा होटलों के लिए यह सामान्य नहीं है कि वे उनके परिसरों में टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं से प्रीमियम प्रभारित करें। अतः स्टार सिफारिभा करता है कि वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आधारित समस्त अवलोकनों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट प्रदान की जानी चाहिए। 26.12.2003 की अवधि के पश्चात अनेक प्रसारकों ने या तो अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है अथवा वाणिज्यिक संस्थापनाओं की नई श्रेणियां भामिल कर ली है। अतः स्टार अनुरोध करता है कि मूल्यों का स्थिर करने की तारीख को 1 मार्च, 2006 के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि ट्राई के 7 मार्च, 2006 के आदेभा में उल्लेख किया गया है। स्टार ने यह भी अनुरोध किया है कि 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना के खण्ड 3 क में उपबंधित स्पष्टीकरण को बहाल किया जाए तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं को केवल "प्राधिकृत" केबल प्रचालकों/एमएसओ से सिगनल प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। (स्टार)

8. ईएसपीएन का मानना है कि कैस अथवा गैर-कैस क्षेत्रों में किसी होटल अथवा वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का कोई भी मूल्य विनियम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लक्षित प्रयोक्ता उपभोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो सकती, क्योंकि वे इन सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक लाभ के लिए करते हैं और स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं। ईएसपीएन की टिप्पणियां स्टार की टिप्पणियों का समर्थन करती हैं जो कि पहले ही पूर्ववर्ती पैरा में प्रस्तुत की गई हैं।

9. हैथवे ने कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेभा में समय पर किए गए संभोधन का स्वागत किया है, जैसाकि मसौदा अधिसूचना में दर्शाया गया है। अतः कैस अधिसूचित क्षेत्रों में तथा विभोष रूप से प्रसारकों एवं एमएमओ के बीच मानक समझौते के खण्ड 5.2 (i) के अंतर्गत, जहां यह दर्शाया गया है कि कैस अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं को चैनलों के वितरण के लिए प्रसारकों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, मानक और वाणिज्यिक अंतर्संबंध समझौते में तदनुरूपी संभोधन अनिवार्य और आवश्यक हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक अंभादाता इसके वर्गीकरण सहित “उत्तरदायी” होगा भले ही उपभोक्ता वाणिज्यिक स्थापना है अथवा अन्यथा है। प्रसारक, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर के बीच 45:30:25 के अनुपात में राजस्व साझेदारी होनी चाहिए। (हैथवे)

10. जी ट्राई के ध्यान में यह लाना चाहता है कि प्रसारक अनेक वर्षों से विभिन्न दरों को प्रभारित कर रहे हैं अर्थात वाणिज्यिक स्थापनाओं के वाणिज्यिक दरें तथा साधारण उपभोक्ताओं से कम दरें। प्रसारकों द्वारा कटिंग एज प्रोग्रामिंग के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें अत्यंत कम हैं तथा उनके कमरे के किराए का केवल 1 % ही है। जी ने अनुरोध किया है कि किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का मूल्य नियंत्रण विनियम लागू न किया जाए क्योंकि वे ऐसे लक्षित उपभोक्ता नहीं हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे इन सेवाओं को वाणिज्यिक लाभ के लिए प्रयोग में लाते हैं तथा स्वयं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं। बड़ी संख्या में स्थापनाएं ऐसे केबल ऑपरेटरों के अप्राधिकृत फीड ले रही हैं जो वाणिज्यिक स्थापनाओं को इसका वितरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। जी ने अनुरोध किया है कि खण्ड 2 (च) (ii) में मोटल, सराय भादों के पश्चात "क्लबों, रेस्त्राओं, बारों, वाणिज्यिक मॉलों, सिनेमाघरों" की श्रेणी जोड़ दी जाए तथा इसी प्रकार, कमरों की संख्या में 50 से 25 को संभोधन कर दिया जाए। जी ने यह भी सिफारिष की है कि ऐसी सभी स्थापनाओं तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं के

सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट दी जानी चाहिए। खण्ड 2 (च)(ii) में यथा उल्लिखित अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापना जैसे बैंक, अस्पताल आदि और प्रसारकों के बीच विद्यमान व्यवस्था/करार को ऐसे करार/व्यवस्था की समाप्ति तक विद्यमान व्यवस्था/ करार के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए अन्यथा इससे काफी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। 25 टीवी सेटों से अधिक वाले किसी निजी अथवा न्यास द्वारा धारित अस्पताल को भी 5/4/3 सितारा होटलों के समान समझा जाना चाहिए। आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि अनेक मामलों में बड़े अस्पतालों के परिसरों में 125 से अधिक टीवी सेट होते हैं। यह उचित तथा तर्कसंगत होगा यदि प्रसारकों को अपने प्रभारों की वसूली 25 से अधिक टीवी सेटों वाले किसी अस्पताल से करने की अनुमति दी जाएगी तथा उन्हें 5/4/3 सितारा होटलों के समान समझा जाना चाहिए। जी ने यह भी उल्लेख किया है सरकार/अर्ध-सरकार/पालिका द्वारा धारित/संचालित किसी अस्पताल को संरक्षित किया जाना चाहिए तथा उसे उच्चतम सीमा का संरक्षण मिलना चाहिए भले ही उनके द्वारा संस्थापित टीवी सेटों की संख्या कितनी भी हो। बाजार भाक्ति के सिद्धांत को बिना किसी मूल्य विनियम के जारी रखा जाना चाहिए। अ-ला-कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करने का विकल्प होटलों में कार्य नहीं कर सकता है तथा चैनलों का उन उपभोक्ताओं के लिए अंभादान किया जा रहा है जो वहां ठहरने के लिए आते हैं। अतः चैनलों की मांग वहां दैनिक आधार पर है, जो केवल तभी पूरी हो सकती है जब सभी चैनल होटल के लिए उपलब्ध हों। अन्य मामलों में जी द्वारा किए गए उल्लेख अन्य प्रसारकों के समान ही हैं, जिनके दृष्टिकोणों का ऊपर पहले भी उल्लेख किया गया है। (जी)



